

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  
[भर्ती प्रकोष्ठ]  
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES  
[RECRUITMENT CELL]

सं.मि.2-7/2018-स्था. (भर्ती)  
No.F.2-7/2018-Estt.(RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29  
Ansari Nagar, New Delhi-29

दिनांक: 27 FEB 2025

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में सहायक भंडार अधिकारी के पद पर पदोन्नति ।  
Subject: Promotion to the post of Assistant Stores Officer at the AIIMS, New Delhi.

\*\*\*\*\*

दिनांक 17.02.2025 को हुई सहायक भंडार अधिकारी के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की सिफारिश के परिणामस्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, निम्नलिखित कनिष्ठ भंडार अधिकारियों को पे मेट्रिक्स के लेवल-07 में सहायक भंडार अधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee in its meeting held on 17<sup>th</sup> February 2025 and its acceptance by the Competent Authority, the following Junior Stores Officers are promoted to the post of Assistant Stores Officer in the Level-07 of the pay matrix from the date they assume the charge of the post of Assistant Stores Officer.

Sr. No.	Name	Category	Considered against the category	Department/Section
1.	Mrs. Anuradha Narula	Gen.	UR	Store Main Hospital
2.	Sh. Naveen Chander Bhatt	Gen.	UR	Store Main Hospital
3.	Mrs. Ruchi Batra	Gen.	UR	Dr. RPC
4.	Sh. Krishna Murari Singh	Gen.	UR	JPNATC

हालाँकि, उनकी वरिष्ठता सहायक भंडार अधिकारी के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि अर्थात् दिनांक 17.02.2025 से प्रभावी होगी।

However, their seniority in the post of Assistant Stores Officer will be effective from the date of Departmental Promotion Committee i.e. 17.02.2025.

वह सहायक भंडार अधिकारी का पदभार ग्रहण करने की तिथि से, दिल्ली/नई दिल्ली/ बडसा, झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी., गाज़ियाबाद और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रुरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

They will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/NDDTC, Ghaziabad/Outreach OPD, Jhajjar, and NCI Jhajjar, Haryana and in the rural center presently located at Ballabhgarh (Haryana) and at any other centre opened by the Institute in future, from the date they assume the charge to the post of Assistant Stores Officer.

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22(1) यदी लागू हो तो, के अंतर्गत पदग्रहण करने की वास्तविक तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से निर्धारित करने का विकल्प चुने बशर्ते उन्हें आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया हो।

They are advised to exercise their option for fixation of their pay under FR-22(I) if applicable, either from the date of their actual promotion to the post or from the date of drawl of their next increment in the present post within one month from the date of issue of this office order, provided they have not been granted financial up-gradation under ACP/MACP Scheme.

उनकी सेवाएं वर्तमान में बल्लभगढ़ (हरियाणा) में स्थित ग्रामीण परियोजना, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र (गाजियाबाद), एन.सी.आई, बाढसा, झज्जर तथा संस्थान द्वारा भविष्य में खोले जाने वाले किसी अन्य केंद्र में स्थानांतरणीय हैं। उन्हें शिफ्ट में सेवा देने के लिए भी कहा जा सकता है।

Their services are transferable to the other centre facilities presently located at Ballabhgarh (Haryana), National drugs Dependency Treatment Centre (Ghaziabad), National Cancer Institute, Badsa, Jhajjar and at any other centre/facilities which may come up in future. They can be asked to perform duties in shifts also.

उनकी सेवा दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि के दौरान उन्हें संतोषजनक सेवाएँ प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिये अथवा बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी।


They will be on probation for a period of two years. During the period of probation, they will be required to put in satisfactory service failing which their services will be liable to be reverted at any time without any notice or reason being assigned for the same.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू है, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and condition of their service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

सहायक भंडार अधिकारी के पद पर पदोन्नति की पेशकश एस.एल.पी. (C)न0. 30621/2011, 31288/2017 और अन्य जुड़े मामलो के परिणाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित या अन्य संबंधित मामले या किसी अदालत या किसी अन्य निर्देश के परिणाम के अधीन है या इस संबंध में डी.ओ.पी.टी. द्वारा कोई अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

The offer of promotion to the post of Assistant Stores Officer is subject to outcome of the SLP (C) No. 30621/2011, 31288/2017 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other direction by any court or any other clarification issued by the DoPT in this regards.

  
[प्रवीण वशिष्ठ/PRAVEEN VASHIST]  
प्रभारी आचार्य/PROFESSOR IN-CHARGE

**संबन्धित व्यक्ति/Persons concerned**

द्वारा: उनके संबन्धित ऑफिसर इनचार्ज

Through:- Respective Officer-in-Charge

**प्रतिलिपि/Copy to:-**

- 1) चीफ़, डॉ. आर पी सी / जे पी एन ए टी सी/Chief, Dr. RPC/JPNATC
- 2) चिकित्सा अधीक्षक (अस्पताल)/ डॉ. आर पी सी /Medical Superintendent (Hospital)/Dr. RPC
- 3) प्रभारी आचार्य, खरीद/The Prof. In-Charge, Procurement
- 4) निदेशक/अपर निदेशक (प्रशा.)/उप सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव/व्यक्तिगत सहायक/PPS/PS/PA to Director/ADA/DS/CAO
- 5) वरिष्ठ भंडार अधिकारी (अस्पताल) / Senior Stores Officer (Hospital)
- 6) भंडार अधिकारी, जे पी एन ए टी सी/ Stores Officer, JPNATC
- 7) स्थापना अनुभाग(अस्पताल)/ डॉ. आर पी सी/ जे पी एन ए टी सी /Establishment Section (Hospital)/Dr. RPC/JPNATC
- 8) लेखा अनुभाग-I एवं II/ डॉ. आर पी सी / जे पी एन ए टी सी /Accounts Section I & II/Dr. RPC/JPNATC
- 9) सामान्य अनुभाग/सम्पदा अनुभाग/विधि प्रकोष्ठ/सामान्य भविष्य निधि अनुभाग/General Section/Estate Section/Legal Cell/GPF Section
- 10) सतर्कता प्रकोष्ठ/वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकोष्ठ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला प्रकोष्ठ/इ एच एस प्रकोष्ठ/Vigilance Cell/ACR's Cell /SC/ST/OBC/Women Cell/EHS Cell
- 11) संरक्षण मिसिल/Guard File

Professor-in-charge Computer Facility-with the request to upload the same on Institute website